सफाई व्यवस्था

सफाई व्यवस्था की द ष्टि से नगर निगम क्षेत्र को 19 सेनेटरी वार्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से चार वार्ड (ताजगंज, यमुनापार, कोतवाली नोर्थ व साऊथ) को संविदा सफाई कर्मचारियों द्वारा आच्छादित किया गया है। लगभग 640 संविदा सफाई कर्मचारी इन वार्डों में कार्यरत हैं। शेष 15 वार्डों में नगर निगम के 2023 सफाई कर्मचारी पदस्थ हैं। वार्ड स्तर पर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था वार्ड के स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा वीट में पदस्थ सफाई नायकों के माध्यम से निस्तारित कराई जाती है। क्षेत्रीय कूड़ा-कचरा एकत्रीकरण हेतु प्रत्येक वीट में कच्चा-पक्का ढलाव अथवा डस्टविन द्वारा किया जाता है जिसे प्रत्येक दिन नगर निगम के वाहनों द्वारा उठवाकर खत्ताघर पर पहुँचाया जाता है। क्षेत्रीय सफाई व्यवस्था का पर्यवेक्षण मुख्य स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक, जोनल सेनेटरी ऑफीसर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी व नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

आगरा नगर निगम की सीमा का विस्तार होने के कारण लगभग 400 नव विकसित कॉलोनियों, क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पर नियमित सफाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था ठेके के श्रमिकों द्वारा गेंग बनाकर कराई जाती है। वर्तमान समय में नगर निगम की 6 सफाई गेंग कार्यरत हैं जिसमें कुल 141 सफाई 1 श्रमिक कार्यरत हैं। ताजमहल के एक किलोमीटर परिधि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था ठेका पद्धति से कराई जा रही है जिसमें लगभग 108 सफाई श्रमिक कार्यरत हैं।

नगर में लगभग 330 छोटे-बड़े नाले हैं, जिसकी सफाई प्रत्येक वर्ष ठेके पर श्रमिक रखकर व जे.सी.वी. मशीन द्वारा कराई जाती है।

शुष्क शौचालय

नगर में शुष्क शौचालय की स्थिति का वार्डवाईज सर्वे कराया गया है। आगरा नगर निगम क्षेत्र में वार्डवाईज सर्वे के उपरान्त लगभग 206643 भवनों की सूची डूडा विभाग, नगर निगम आगरा को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी है।

कूड़े-कचरे के प्रबन्धन एवं उसके निस्तारण के उपाय

नगर निगम सीमा के अन्तर्गत शहर के विस्तारीकरण के फलस्वरूप विकसित हो रही कालौनियों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों से जनित अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में लगभग 650 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन जनित हो रहा है। इसमें से लगभग 80-90 प्रतिशत अपशिष्ट के एकत्रीकरण (190 डलाबघर व 208 डस्टबिनों की सहायता से) एवं डमप साइट तक परिवहन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। शेष अपशिष्ट को अवकाश के दिनांक में विशेष अभियान चलाकर निस्तारित किया जाता है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत आगरा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की रुपया 3033.99 लाख की डी.पी. आर. भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी है। उ.प्र. शासन द्वारा उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उ.प्र. जल निगम, सी. एण्ड डी.एस. आगरा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। नगर निगम द्वारा कुल 718.742 लाख की धनराशि जल निगम (सी. एण्ड डी.एस.) को योजना के कार्यान्यवन हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है। कुबेरपुर स्थित भूमि पर कम्पोस्टिंग प्लांट की स्थापना एवं लैंडफिल साईट के विकास हेतु एन्वायरमेंटल क्लीयरेंस प्राप्त करने तथा अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 02-04-2008 को क्रमशः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली तथा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को आवेदन प्रेषित किये जा चुके हैं। अधिकार पत्र के सम्बन्ध में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा पत्र दिनांक 10-04-08 द्वारा सूचना चाही गई थी, जिसे नगर निगम द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। जल निगम (सी. एण्ड डी.एस.) द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु टेण्डर इत्यादि कार्यवाही की जा रही है। योजना के पूर्ण रूप से लागू होने पर शहर की सफाई व्यवस्था उत्तम हो सकेगी।